



on LOK[®]
where seniors embrace life

PACE

On Lok PACE नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 की धारा VI के अनुसार जाति, रंग या राष्ट्रीय मूल की परवाह किए बिना अपनी परिवहन सेवाएं संचालित करता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के अनुभाग VI के अतिरिक्त, On Lok PACE जातीयता, वंश, धर्म, लिंग (जिसमें लैंगिक विशेषताएँ, इंटरसेक्स लक्षण; गर्भावस्था या इससे संबंधित स्थितियाँ; यौन रुझान; लैंगिक पहचान; और लैंगिकता संबंधी पूर्वाग्रह शामिल हैं), उम्र, सेहत की स्थिति, मानसिक या शारीरिक विकलांगता, सेहत की स्थिति, आनुवंशिक जानकारी, या भुगतान के स्रोत के आधार पर भेदभाव किए जाने को भी प्रतिबंधित करता है। कोई भी व्यक्ति जो मानता है कि वह टाइटल VI के अंतर्गत किसी भी गैरकानूनी भेदभावपूर्ण व्यवहार से व्यथित हुआ है, वह On Lok PACE के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

अपने शीर्षक VI अधिकारों और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर 1-888-996-6565 (TTY: 711) पर संपर्क करें। शिकायतकर्ता नागरिक अधिकार कार्यालय में शिकायत दर्ज करके सीधे संघीय परिवहन प्रशासन के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, ध्यानार्थ: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

अगर किसी अन्य भाषा में जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर 1-888-996-6565 (TTY: 711) पर संपर्क करें।